

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 78]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 3, 2016/फाल्गुन 13, 1937

No. 78]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 3, 2016/ PHALGUNA 13, 1937

नागालैण्ड विश्वविद्यालय

सूचना

लुमामी, 29 फरवरी, 2016

क्र. नावि. का. प. प्रकोष्ठ-4/06.—आगतुक की क्षमता में भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने कृपा करके नागालैण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम 1989 की संविधि 2(4) में संशोधन को मंजूर किया है। जो कि यथा निम्नलिखित है :-

“2(4) कुलपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से लेकर या 70 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, दोनों में से जो भी पहले आए, पांच वर्ष की अवधि के लिए अपने पद पर बने रहेंगे एवं दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।”

एम. के. सिन्हा, प्रभारी कुलसचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./379(382)]

NAGALAND UNIVERSITY

NOTICE

Lumami, the 29th February, 2016

No. NU, EC CELL-4/06.—The president of India in the capacity of Visitor, Nagaland University has been pleased to approve the amendment of the Statute 2 (4) of the Nagaland University Act, 1989 as under:-

“2(4) The Vice Chancellor shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office, or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier, and he shall be eligible for reappointment for a second term.”

M. K. SINHA, Registrar In charge

[ADVT-III/4/Exty./379(382)]